

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 15(7)ज0सं0/2015(4)

जयपुर, दिनांक 10 FEB 2016

:: संशोधन ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.02.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. क्रम संख्या 33 के कॉलम संख्या 4 में जल संसाधन खण्ड-1 के स्थान पर स0 संसाधन खण्ड-1111 पढ़ा जावे।
2. क्रम संख्या 36 के कॉलम संख्या 4 में स0अ0, जल संसाधन उपखण्ड-1, सूरतगढ़ के स्थान पर स0अ0 अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन उपखण्ड-1, सूरतगढ़ पढ़ा जावे।
3. क्रम संख्या 46 के कॉलम संख्या 4 में स0अ0, जल संसाधन, शेरपुरा उपखण्ड, छत्तरगढ़ के स्थान पर स0अ0 जल संसाधन उपखण्ड रोजडी (छत्तरगढ़) पढ़ा जावे।
4. क्रम संख्या 51 के कॉलम संख्या 4 में निर्वाण शब्द को विलोपित किया जाता है।
5. क्रम संख्या 61 के कॉलम संख्या 4 में 23वां खण्ड के स्थान पर 28वां खण्ड पढ़ा जावे।

आज्ञा से

(पंकज ओझा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जसं, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जसं, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
4. रक्षित पत्रावली।

10.2.16
सहायक शासन सचिव

Sr PA
10/2

Sr PA
10/2